रजि० सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1, 1972/पौष 11, 1893

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 1972/PAUSA 11, 1893

ी है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

this Part in order that it may be filed
parate compilation

OF FINANCE

enue and Insurance)

'ATION

TOMS

e 1st *January* 1972

vers conferred by sub-section (1) of sec-
52 of 1962), the Central Government, being
the public interest so to do, hereby makes the
tification of the Government of India in the Minis-
of Revenue and Insurance) No. 1-Customs, dated

paragraph 2, for the figures, letters and word, "31st
letters and word "31st January, 1972", shall be

[No. 5/F. No. 555/99/71-L.C I]

M. G ABROL, Jt. Secy

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1972

एस० ओ० 1(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 जनवरी, 1971 की अधिसूचना सं० 1—सीमा-शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, "31 दिसम्बर, 1971" अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर "31 जनवरी, 1972" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 5/फा० सं० 555/99/71-एल० सी०]

मदन गोपाल अग्रवाल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF P